

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

एफ-5/अभि./सीटीएडी/आ.छा. मरम्मत (245)/2020-21/11683-93

दिनांक : 30/3/2021

उपायुक्त,

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,

उदयपुर।

विषय : नलकूप मय मोटर व पाईप की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग : आपके कार्यालय का पत्रांक 3122 दिनांक 15.03.2021 सलग्न तकनीकी स्वीकृति पत्रांक AEN/Dy.comm.TAD/22/15.03.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना प्राप्त होने से निम्नलिखित निम्नलिखित जनजाति छात्रावास में पेयजल हेतु नलकूप मय मोटर व पाईप लाईन सम्बन्धित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार जारी की जाती है—

कार्यकारी एजेन्सी— उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

(राशि लाखों में)

क.सं.	छात्रावास का नाम	तकनीकी स्वीकृति	
		क्र/दि.	राशि
1.	राजकीय गुरु गोविंद सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर के छात्रावास में नलकूप मय मोटर व पाईप।	AEN/Dy.comm.TAD /22/15.03.2021	1.10

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-22/2019-20 दिनांक 06.11.2019 द्वारा छात्रावासो मरम्मत एवं सुविधा विकास कार्य हेतु प्राप्त राशि में से होगा।

शर्तें—

1. मौके की स्थिति एवं आवासीय विद्यालय के स्कूल परिसर में वास्तविक आवश्यकतानुसार कार्य सम्पादित किये जावे।
2. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। दोहरा व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
3. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
5. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
6. नवीन नलकूप खोदने संबंधी कार्य भू-जल वैज्ञानिक की जल उपलब्धता की रिपोर्ट अनुसार किया जावे।
7. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगतिपर एवं पूर्णता के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे।
8. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि लौटाई जावे।

sd
(डॉ. वृद्धि चंद गर्ग)R.A.S
अतिरिक्त आयुक्त

एफ-5/अभि./सीटीएडी/आ.छा. मरम्मत (245)/2020-21/11683-93 दिनांक : 30/3/2021

प्रतिलिपि -

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-22/2019-20 दिनांक 06.11.2019 द्वारा छात्रावासो मरम्मत एवं सुविधा विकास कार्य हेतु प्राप्त राशि मे से राशि रु. 1.10 लाख उपायुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर को हस्तांतरित करे।
5. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
6. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
7. उप निदेशक शिक्षा कार्यालय हाजा।
8. प्राचार्य राजकीय गुरु गोविंद सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर।
9. अधीक्षक जनजाति छात्रास राजकीय गुरु गोविंद सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर।
10. गार्ड फाईल ।



अतिरिक्त आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)